उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id- dccourt.grd@gmail.com)

दाखिल खारिज रिवीजन वाद सं0–04 / 2022

पारवती देवी–बनाम–राज्य

1	2	3

05.12.21

यह दाखिल खारिज रिवीजन वाद अंचल अधिकारी, गाँवा के दाखिल खारिज वाद सं0 377 / 2019–20 तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खोरीमहुआ के दाखिल खारिज अपील वाद सं0 33 / 2020–21 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें निबंधित केवाला के माध्यम से वादी को प्राप्त भूमि का दाखिल खारिज मात्र इसलिए मान्य नहीं किया गया कि दो बिक्रेताओं में से एक बिक्रेता के पूर्वजों का नाम पंजी II में अंकित नहीं है।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता का अभिकथन यह है कि खतियानी रैयत के वंशजों के द्वारा ही वादगत भूमि की बिक्री प्रथम पक्ष को की गई है तथा खतियानी रैयत के सभी वंशज प्रत्येक संपत्ति पर बराबर के हकदार हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम पंजी II में अंकित कर दिये जाने से अन्य co-sharer का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है तथा ग्रामीण परिपाटी के अनुसार कर्त्ता का नाम पंजी II में इन्द्राज किया गया है। उनके द्वारा खतियानी रैयत का Genealogy प्रस्तुत किया गया है जो नियमवत है:–

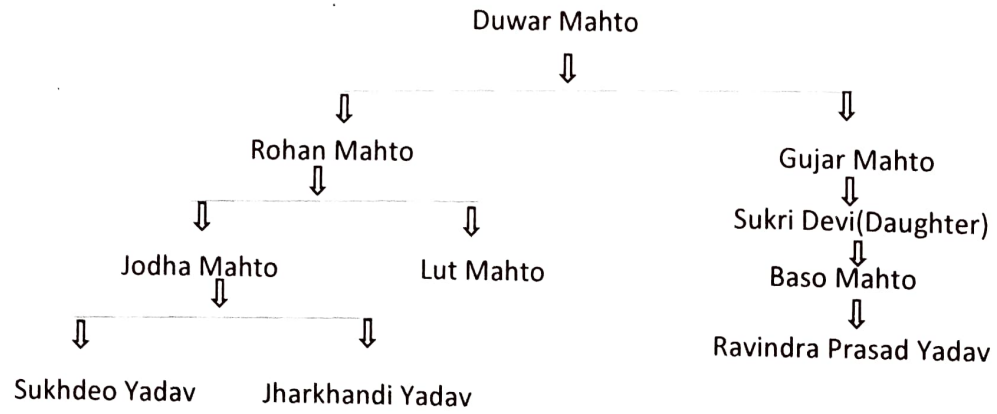

उपरोक्त Genealogy में से एक बिक्रेता पंजी II में नामित व्यक्ति रोहन महतो का वंशज झारखण्डी यादव हैं जबकि दूसरे बिक्रेता रविन्द्र प्रसाद यादव खतियानी रैयत के दूसरे बेटे गुजर महतो के वंशज

से है और वे लोग शांतिपूर्ण दखल कब्जा मे थे तथा बिक्रेता को शांतिपूर्ण रूप से निबंधित केवाला के माध्यम से वादगत भूमि को हस्तांतरित किये है।

संपूर्ण अभिलेख प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित एवं मौखिक बयान तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अभिकथन के विवेचना के आधार पर निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैः–

1. यह कि भूमि की प्रकृति रैयती है तथा खतियानी रैयत Duwar Mahto थे।
2. यह कि Duwar Mahto के दो पुत्र थे रोहन महतो तथा गुजर महतो।
3. यह कि पंजी II के निर्माण के समय रोहन महतो का नाम अंकित किया गया परंतु गुजर महतो का नाम अंकित नहीं किया गया।
4. यह कि रोहन महतो के वंशज झारखण्डी यादव (पहले बिक्रेता) तथा दूसरे बिक्रेता रविन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा भूमि की बिक्री की गई तथा ये दोनों खतियानी रैयत के क्रमशः तीसरी तथा चौथी पीढ़ी हैं तथा इस लंबे अंतराल में वादगत भूमि से संबंधित कोई विवाद किसी न्यायालय में होने की बात प्रकाश में नहीं आई और न इस प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में राज्य की ओर से लाया गया और न ही किसी Intervenor के द्वारा इस निबंधन का विरोध किया गया।
5. यह कि अंचल अधिकारी, गाँवा एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खोरीमहुआ द्वारा plainly (without details) आदेश पारित किया गया कि प्रस्तुत वंशावली के अनुसार बिक्रेता रविन्द्र प्रसाद यादव के नाम से/वंशज के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। उन्हें इस बाबत जाँच कर दोनों बिक्रेताओं को बुलाकर सारे तथ्यों को विचारार्थ रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था परंतु उनके द्वारा यह Exercise नहीं किया गया जो उनके वाद के प्रति अरूची को दर्शाता है।
6. यह कि खतियान से पंजी II के निर्माण के समय किसकी भूल से सिर्फ रोहन महतो के नाम की ही प्रविष्टि की गई और गुजर महतो का नाम छोड़ दिया गया, इस तथ्य पर भी विचार निम्न न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया।
7. यह कि निबंधित दस्तावेज के अनुसार दो हिस्सेदारों द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि बिक्रय किया गया है और इस पर अन्य किसी हिस्सेदार द्वारा कोई आपत्ति किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं है।
8. यह कि किसी एक व्यक्ति का नाम पंजी II में नहीं होने पर उसके Right, Title एवं Interest को खारिज नहीं किया जा सकता है और इस तरह दाखिल–खारिज को निम्न

न्यायालयों द्वारा अस्वीकृत करना किसी के Right, Title , Interest एवं Possession को नकारना होगा जो स्वीकार्य नही हैं तथा और इस लिए यह Revision वाद स्वीकार योग्य है।

आदेश

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस रिवीजन वाद को स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है तथा अंचल अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष के वादगत भूमि मौजा–कोनारबांक, थाना सं0–263, खाता सं0–09 के विभिन्न वादगत प्लॉट तथा मौजा–बादीडीह, थाना सं0–276, खाता सं0–30, के विभिन्न वादगत प्लॉट (निबंधित केवाला के अनुसार) के संबंध में यथाशीघ्र दावा आपत्ति आमंत्रित करते हुए खतियानी रैयत Duwar Mahto के वंशजों का नियमानुसार Succession Mutation के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करेंगें एवं तदानुसार वर्तमान वाद में वादगत भूमि का नियमानुसार दाखिल खारिज के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

05/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

05/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 960 /न्या0 दिनांक 05/12/2024

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, गावाँ एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खोरीमहुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

05/12/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2024.12.05 18:15 +05:30
Location: 192.168.0.123